संख्या- 5 /2019/310 /77-3-2019-10बजट/18

प्रेषक,

अनिल कुमार,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोरखपुर / संतकबीरनगर / अम्बेडकरनगर / आजमगढ ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 13 फरवरी, 2019

विषय- गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना से आच्छादित जनपदों को वित्तीय वर्ष 2018-19 में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 550.00 करोड़ में से रू0 540.00 करोड़ की धनराशि भूमि अधिग्रहण / क्रय हेतु स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक यूपीडा के पत्रांक-5727/यूपीडा/08/147, दिनांक 05.02.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. उक्त प्रसंग में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक "5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-07-गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना-24-वृहद निर्माण कार्य" के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 550.00 करोड़ में से शासनादेश संख्या-32/2018/2423/77-3-18-10बजट/2018, दिनांक 05.09.2018 द्वारा प्री'फिजीबिलटी कार्यों हेतु रू0 1.35 करोड (रू0 एक करोड पैंतीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है। अवशेष धनराशि रू0 548.65 करोड में से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना से आच्छादित जनपदों को यूपीडा के प्रस्तावानुसार भूमि क्रय मद में क्रमशः जिलाधिकारी, गोरखपुर को रू0 450.00 करोड़, जिलाधिकारी, संतकबीरनगर को रू0 30.00 करोड़, जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर को रू0 30.00 करोड़ तथा जिलाधिकारी, आजमगढ को रू0 30.00 करोड़ अर्थात् कुल रू0 540.00 करोड़ (रू0 पांच सौ चालीस करोड मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) धनराशि आहरित करके संबंधित जिलाधिकारी के डिपाजिट खाते में जमा की जायेगी।

(2) उक्त धनराशि का आहरण डिपाजिट खाते से केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) धनराशि का आहरण करके यूपीडा के बैंक खाते में अथवा किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

(4) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाये। अतः जिलाधिकारी से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर व्यय की जाने वाली धनराशि से अपने को पूर्णरूप से संतुष्ट कर लेंगे।

(5) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उपर्युक्त प्रस्तर-2 में स्वीकृत की जा रही धनराशि रू0 540.00 करोड़ (रूपये पांच सौ चालीस करोड़ मात्र) का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-007 के लेखाशीर्षक "5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-07-गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 के अ0शा0 संख्या-ई-6-/02/दस-19 दिनांक 13.02.2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
उप सचिव

संख्या-5/2019/310(1)/77-3-2019, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा,पर्यटन भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, गोरखपुर /संतकबीरनगर/अम्बेडकरनगर/आजमगढ।
5. निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-6, औद्योगिक विकास अनुभाग-2
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in